प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
2-सप्रू मार्ग, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ दिनांक 04 जनवरी, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना 'पर ड्राप मोर क्राप'-माइक्रोइरीगेशन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-150/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 29-09-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना 'पर ड्राप मोर क्राप'-माइक्रोइरीगेशन में प्राविधानित धनराशि रू0-94061 हजार के सापेक्ष(एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी) लाभार्थियों के लिये वर्तमान में उपलब्ध केन्द्रांश को दृष्टिगत रखते हुए रू0-63742 हजार (रूपये छः करोड़ सैतीस लाख बयालीस हजार) मात्र की धनराशि अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/ योजना का नाम	**कोड सं0/मद का नाम**	**प्राविधान (अनुपूरक सहित)**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त हेतु प्रस्ताव**			
				केन्द्रांश	**अनिवार्य राज्यांश**	**अतिरिक्त राज्यांश**	**कुल धनराशि**
अनुदान सं0-83 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत- 119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइीगेशन(के60-रा040-के0+रा0)	27-सब्सिडी	88813	28127	25104	16410	19172	60686
	42-अन्य व्यय	4423	1444	1219	810	950	2979
	44-प्रशिक्षण पर व्यय	825	748	77	0	0	77
	योग-	94061	30319	26400	17220	20122	63742

(रूपये छः करोड़ सैतीस लाख बयालीस हजार)मात्र

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 18/2016-817/58-2016-429/2015 दिनांक 16-03-2016 में निर्धारित नवीन फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभाथी अंश निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जायेगा:-

कार्यक्रम	लाभाथी श्रेणी	नवीन फण्डिंग पैटर्न के अनुसार निर्धारित अंश				
		केन्द्राँश	राज्याँश	अतिरिक्त राज्याँश (Top up)	कुल राज्याँश	लाभार्थी अंश
1	2	3	4	5	6	7
डी.पी.ए.पी.	लघु सीमान्त कृषक	36(%)	24(%)	16(%)	40(%)	24(%)
	सामान्य कृषक	27(%)	18(%)	17(%)	35(%)	38(%)
गैर डी.पी.ए.पी./ डी.डी.पी.	लघु सीमान्त कृषक	27(%)	18(%)	22 (%)	40 (%)	33(%)
	सामान्य कृषक	21(%)	14(%)	21(%)	35(%)	44(%)

उपरोक्तानुसार दी गयी व्यवस्था पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर शासनादेश सं0-18/2016-817/58-2016-429/2015 दिनांक 16-03-2016 निर्गत किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शत् प्रतिशत् भारत सरकार का अंश निहित होगा। तद्नुसार संशोधित केन्द्रांश/राज्यांश की अनुदान धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा तथा लाभार्थी अंश का भुगतान सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं उक्तानुसार किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय नियमानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहॉ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि के व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत की गयी हैं।

(7) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नवत अपनायी जायेगी:-

(1) वित्तीय वर्ष-2016-17 से आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु वेब पोर्टल तैयार

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे और प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर उपयुक्तता के अनुसार सूचीबद्ध करते हुए जिलाधिकारी के स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त कर चयनित किया जायेगा ।

(2) योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/ स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतान करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से अपने बैंक खाते/ऋण खाते में प्राप्त कर सकेंगे। लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से न दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक(पी.डी.सी.) संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

(3) लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन.ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक-22-3-2016 में यह प्राविधान है कि केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि का मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन से योजना के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों(गाइड लाइन्स) के अनुसार स्वीकृतिया जारी की जायेंगी। प्रश्नगत योजना पर उपरोक्तानुसार केन्द्रांश/राज्यांश टाप अप सहित दिये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

(10) लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

.....4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) निर्माता फर्म द्वारा लाभार्थी कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र, 3 वर्ष तक फ्री सेल सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(12) मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) उक्त स्वीकृति के फलस्वरुप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक '2401'-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजितयोजनाएँ-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन (के060/रा040-के0+रा0) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक-22-3-2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

<u>संख्या-01/2017/31(1)/58-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।
8- निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ ।
9- समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश ।
10- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, लखनऊ ।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in